

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्या :- 09/2014

दायरा दिनांक 29.04.2014

पीठासीन अधिकारी :- श्री राहुल कुमार मल्होत्रा (आर.ए.एस.)

उनवान

बबलू उर्फ श्रीकिशन पुत्र मदन जाति किराड निवासी बीलखेडामाल तहसील शाहबाद जिला-बारां। -अपी0

बनाम

1. नारायणलाल पुत्र ओकार जाति किराड निवासी बीलखेडामाल तहसील शाहबाद जिला बारां।(मृतक)
- 1/1 चिरोजीलाल पुत्र नारायणलाल जाति किराड निवासी बीलखेडामाल तहसील शाहबाद जिला बारां।
- 1/2 रामस्वरूप पुत्र नारायणलाल जाति किराड निवासी बीलखेडामाल तहसील शाहबाद जिला बारां।
- 1/3 मोहनसिंह पुत्र नारायणलाल जाति किराड निवासी बीलखेडामाल तहसील शाहबाद जिला बारां।
- 1/4 कसूमल पुत्री नारायणलाल पत्नि भगवत जाति किराड निवासी हाल राजपुर तहसील शाहबाद जिला बारां।
- 1/5 रामनाथी पुत्री नारायणलाल जाति किराड निवासी हाल गदरेटा तहसील शाहबाद जिला बारां।
- 1/6 कुगरबाई बेवा नारायणलाल जाति किराड निवासी बीलखेडामाल तहसील शाहबाद जिला बारां।
2. मांगीलाल पुत्र ओकार जाति किराड निवासी बीलखेडामाल तहसील शाहबाद जिला बारां।(मृतक)
- 2/1 कन्हैयालाल पुत्र मांगीलाल जाति किराड निवासी बीलखेडामाल तहसील शाहबाद जिला बारां।
- 2/2 राकेश पुत्र मांगीलाल जाति किराड निवासी बीलखेडामाल तहसील शाहबाद जिला बारां।
- 2/3 भबूती पुत्री मांगीलाल पत्नि जगदीश जाति किराड निवासी हाल निवासी पहाडी जागीर तहसील शाहबाद जिला बारां।
- 2/4 भंवरी बेवा मांगीलाल जाति किराड निवासी बीलखेडामाल तहसील शाहबाद जिला बारां।
3. रामचरण पुत्र ओकार जाति किराड निवासी बीलखेडामाल तहसील शाहबाद जिला बारां।
4. रामजीलाल पुत्र ओकार जाति किराड निवासी बीलखेडामाल तहसील शाहबाद जिला बारां।
5. जानकी पुत्री ओकार पत्नि प्रेमचन्द जाति किराड निवासी बीलखेडामाल हाल रातईखुर्द तहसील शाहबाद जिला बारां।
6. गुलाबी पुत्री ओकार पत्नि रामलाल जाति किराड निवासी बीलखेडामाल हाल बैहटा तहसील शाहबाद जिला बारां।



7. कपूरी पुत्री ओकार पत्नि ईश्वरलाल जाति किराड निवासी बीलखेडामाल हाल राजपुर तहसील शाहबाद जिला बारां।
8. काशी बेवा ओकार जाति किराड निवासी बीलखेडामाल तहसील शाहबाद जिला बारां। (मृतक)
9. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार शाहबाद जिला बारां - राजस्थान

- रेस्पों

उपस्थित :-

श्री हेमराज नामदेव, अभिभाषक अपीलान्त।

श्री, प्रकाश चन्द्र नामदेव, श्री नवीन भारद्वाज अभिभाषक रेस्पोंडेण्ट।

निर्णय

दिनांक 24-3-2022

अपील विरुद्ध फौती नामान्तरकरण नम्बर 123 ग्राम गोरधनपुरा तहसील शाहबाद दिनांक 15.05.1989

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शाहबाद

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्त उपस्थित। संक्षेप प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलान्त द्वारा यह अपील विरुद्ध दिनांक 15.05.1989 ग्राम गोरधनपुरा को निरस्त करने बाबत प्रस्तुत की है। सरिस्ता रिपोर्ट ली जाकर उचित कोर्ट फीस पर होने व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुये रेस्पोंडेण्ट से रिकार्ड प्रस्तुत करने की तलबी की गई।

अपीलान्त के दादाजी तथा रेस्पोंडेण्ट क्रम 1 लगायत 7 क्रम के पिता व रेस्पोंडेण्ट क्रम 8 के पति ओकार पुत्र देवीलाल कोम किराड साकिन बीलखेडा माल तहसील शाहबाद के खाते व कब्जे काश्त की आराजी खाता संख्या 8 खसरा नम्बर 206 रकबा 7.10 बीघा वांकेग्राम गोरधनपुरा पटवार क्षेत्र बीलखेडामाल तहसील शाहबाद में स्थित है। जिसे अपील में आगे विवादग्रस्त आराजी कहा गया। अपीलान्त के दादाजी खातेदार ओकार पुत्र देवीलाल ने अपनी उक्त वर्णित आराजी की एक रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 12.01.1988 को अपीलान्त के हक में निष्पादित की है, और अपनी कुल जायदाद व चल अचल सम्पत्ति का अपीलान्त को अपने जीवन काल में ही एक मात्र मालिक घोषित किया है, जिसके आधार पर उक्त वर्णित आराजी एक मात्र अपीलान्त के नाम दर्ज की जानी चाहिए थी ऐसा न कर अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वर्णित आराजी प्रश्नगत नामान्तरकरण से अपीलान्त के साथ रेस्पोंडेण्ट्स के नाम दर्ज कर दी इस कारण प्रश्नगत निरस्त किये जाने योग्य है। प्रश्नगत नामान्तरकरण तस्दीक करने के पूर्व कोई सूचना अपीलान्त को नहीं दी और बाला-बाला प्रश्नगत तस्दीक कर दिया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। दिनांक 18.03.2014 हल्का पटवारी से के.सी.सी. बनवाने हेतु नकल जमाबन्दी प्राप्त करने पर प्रश्नगत नामान्तरकरण का सर्व प्रथम ज्ञान अपीलान्त को हुआ, सर्व प्रथम ज्ञान होते ही दिनांक 19.03.2014 को हल्का पटवारी से प्रश्नगत नामान्तरकरण की नकल प्राप्त कर सर्व प्रथम ज्ञान से आज यह अपील उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद पेश है। पूर्व की डिले जानकारी के अभाव में क्षमा किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र एफा 5 भारतीय मर्यादा अधिनियम साथ संलग्न है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेण्ट की तलबी की गई रेस्पोंडेण्ट क्रम 5, 6 व 7 की ओर से इकवाली जबाव पेश कर कथन किया गया कि हमारे पिता और उनके भाई प्रसादीलाल ने उक्त आराजी का आधा-आधा बंटवारा कर लिया था और बंटवारे में प्राप्त अपने हिस्सा 1/2 को हमारे पिता ओकार ने अपीलान्त के हक में वसीयत की है, जो सही है और हमारे पिता की अंतिम इच्छा है अपीलान्त के पिता मदन जो हमारे भाई थे को करीबन 30 वर्ष पूर्व डकैतों ने मार दिया था और अपीलान्त की मां अन्यत्र नाते चली गई थी तब हमारे पिता ओकार ने ही अपीलान्त को पालापोसा विवाह, शादी किये और सहानुभूति तथा स्नेहवश उक्त वर्णित भूमि 7.10 बीघा की वसीयत अपीलान्त के हक में कर दी थी। शेष अपीलान्त की ओर से कोई जबाब प्रस्तुत नहीं किया गया। रेस्पोंडेण्ट क्रम 5, 6 व 7 के बयान लेखबद्ध किये गये।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया अपीलान्त की ओर से ओकारलाल पुत्र देवलाल जाति किराड निवासी बीलखेडामाल तहसील शाहबाद द्वारा अपीलान्त के हक में निष्पादित रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 19.01.1988 की प्रति पेश की गई है जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि ओकारलाल ने अपनी जायदाद चल व अचन सम्पत्ति जिसमें आराजी खसरा नम्बर 206 रकबा 7.10 की वसीयत दिनांक 19.01.1988 को अपीलान्त के हक में पंजीयन कराई है। इस आधार पर उक्त 7.10 बीघा भूमि का अपीलान्त वैद्य अधिकारी प्रतीत होता है, जो अपीलान्त के नाम दर्ज की जानी चाहिए थी, जिसकी पुष्टि रेसपोडेण्ट क्रम 5, 6 व 7 ने भी की है।

उक्त विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर प्रश्नगत नामान्तरकरण नम्बर 123 ग्राम बीलखेडा माल दिनांक 15.05.1989 को निरस्त किया जाता है और प्रकरण तहसीलदार शाहबाद को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है की मृत खातेदार ओकार पुत्र देवलाल द्वारा अपीलान्त के हक में की गई रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 19.01.1988 को ध्यान में रखते हुये नियमानुसार जांच की जाकर पुनः नामान्तरकरण दर्ज किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 24.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पालनार्थ तहसीलदार शाहबाद को निर्णय प्रति सहित पत्र जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(राहुल कुमार मल्होत्रा)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहबाद (बारा)